न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/109/2021	2021/274	10.09.2021	10.05.2022

—उनवान—

1. सुभाष,
2. सुन्दर पुत्रान् लल्लूराम पुत्र रामकुंवार पुत्र भवानीसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र भवानीसहाय (मृतक)
2. शेरसिंह पुत्र भवानीसहाय
3. देवेन्द्र
4. हरेन्द्र पिसरान भीमसिंह पुत्र रामकुंवान पुत्र भवानीसहाय
5. ओमवती पत्नी देवेन्द्र
6. बबली पत्नी हरेन्द्र
7. मुन्नी देवी पत्नी हुक्मचन्द
8. राजेश पत्नी महावीर जाति अहीर निवासी ग्राम थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
9. सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज0।
10. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01.श्री परमानन्द महरा **—वकील प्रार्थी**

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान सुभाष वगै0 बनाम रामकुंवार को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद सुभाष वगै0 बनाम रामकुंवार विचाराधीन है। उक्त मुकदमें साथ स्थगन प्रा0पत्र पेश किया हुआ था। विवादित दावा दिनांक 18.03.2016 को खारिज हो गया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां पेश की गयी थी जो दिनांक 28.04.2017 को मंजूर कर रिमाण्ड की गयी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की गयी जो दिनांक 15.05.2019 का खारिज की गयी। जिसके विरूद्ध पीटिशन संख्या 2254/2019 पेश की गयी जो दिनांक 17.07.2019 को खारिज हो गयी थी और पत्रावली दिनांक 30.07.2019 को पीठासीन अधिकारी तिजारा के यहां पहूंच गयी। फिर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमें में ना तो स्थगन बढ़ा रहे है ना ही दावें में कोई कार्यवाही कर रहे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया और प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा गत पेशी पर ऐलानिया तौर पर कहा गया कि आगामी पेशी पर बहस सुनकर निर्णय कर दुंगा। तुम्हारा प्रकरण में कोई लेना—देना नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा गत तारीख पेशी पर खुले न्यायालय में अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया था। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 8 ने पीठासीन अधिकारी से साठ—गाठ कर ली। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 8 पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त उनवानी अपील संख्या 184/2005 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को नुकसान पहूंचाने की मंशा नहीं है। मिन पीठासीन अधिकारी ने किसी प्रकार का निर्णय का इजहार नहीं किया है। फिर भी उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 18.03.2016 को खारिज किया गया। अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के द्वारा दिनांक 28. 04.2017 को मंजूर कर रिमाण्ड की गयी। जिसके उपरांत अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 15.05.2019 का खारिज की गयी। जिसके विरूद्ध पीटिशन संख्या 2254/2019 को दिनांक 17.07.2019 को खारिज की गयी थी। पत्रावली में दिनांक 17.07.2019 से आदिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अनियमितताएं प्रतीत होती है। जिस कारण पत्रावली मुंतकिल योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन सुभाष वगै0 बनाम रामकुंवार प्रकरण संख्या 184/2005 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर